REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2001/अग्रहायण 30, 1923

No. 634] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2001/AGRAHAYANA 30, 1923

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2001

सा.का.नि. 912 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राजनयिक और कौंसलीय आफिसर(शपथ और फीस) अधिनियम,1948 (1948 का 41) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शुल्क) नियम, 1949 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (फीस) संशोधन नियम 2001 है ।

निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

अनुसूची--1

(नियम 3 देखिए)

कौंसलीय फीस की सारणी

मामले जिनकी बाबत फीस उद्ग्रहणीय है	फीस का मापमान, भारत के बाहर लागू	
	अमरीकी डालर में	यूरो में (वहां लागू होगा जिन देशों में मुद्रा यूरो है) ।
1	2	3
दस्तावेजों का अनुप्रमाणन--सिविल, व्यापार/वाणिज्यिक वास्तविक सम्पदा/चल संपत्ति		
1 (क) पूर्णस्वामिक स्थावर संपदा या जंगम संपत्ति के विक्रय, क्रय, मुख्तारनामा बंधक, अंतरण, दान आदि से संबंधित शपथपत्रों/दस्तावेजों का अनुप्रमाणन या किसी कौंसलीय आफिसर द्वारा ऐसे मामलों से संबंधित किसी दस्तावेज का जारी किया जाना ।	20	25
1 (ख) जहां कोई कौंसलीय आफिसर उपरोक्त मद 1 (क) में वर्णित कोई दस्तावेज तैयार करता है या तैयार करने में सहायता करता है ।	40	50
2 (क) सिविल दस्तावेजों का अनुप्रमाणन (शपथपत्र, शैक्षिक डिग्रियां, प्रयोजन प्रमाणन, विवाह प्रमाणपत्र बिल, मुख्तारनामा आदि)	10	12
(ख) जहां कोई कौंसलीय आफिसर, कोसलीय निर्देशिका के अनुसार मद 2(क) में वर्णित कोई दस्तावेज तैयार करता है या तैयार करने में सहायता करता है ।	20	25
3.(क) विदेश से भारत को निर्यात से संबंधित व्यापार/ वाणिज्यिक दस्तावेजों का अनुप्रमाणन या किसी प्रमाणपत्र को (उद्भव का देश आदि) जारी किया जाना ।	50	62
		25

वाणिज्यिक नौवहन के संबंध में फीस		
5.(क) जलयान के विक्रय, क्रय, बंधक, अंतरण से संबंधित दस्तावेजों या वाणिज्यिक जलयान में अपने हित के अन्तरण का अनुप्रमाणन ।	260	320
5 (ख) पोत/जलयान से संबंधित अन्य दस्तावेजों का अनुप्रमाणन या किसी दस्तावेज का प्रमाणपत्र या सत्यापन या प्रतिग्रहण जारी किया जाना या "वाणिज्यिक पोत" पर कौंसलीय निर्देशिका के अध्याय IX के अनुसार कोई कार्रवाई करना । पोत परिवहन कंपनी (या कंपनी की ओर से जलयान का कप्तान) आवेदक/ कौंसलीय फीस को देने वाला है ।	50	62
5 (ग) "वाणिज्यिक नौवहन" पर कौंसलीय निर्देशिका के अध्याय IX के अनुसार दस्तावेजों का अनुप्रमाणन, या किसी नाविक को प्रमाणपत्र जारी किया जाना (व्यक्तिक नाविक अपने व्यक्तिक उपयोग के लिए आवेदक है) ।	10	12
अन्य सेवाओं के संबंध में फीस		
6 (क) किसी भारतीय नागरिक या किसी अन्य व्यक्ति की जो नाविक नहीं है, जिसकी निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है, कौंसलीय आफिसर के निवास स्थान के देश में अवस्थित संपत्ति के प्रशासन या वितरण या दोनों के लिए या जब निर्वसीयत मृत्यु नहीं होती है, तब उसकी मृत्यु के देश में मृतक व्यक्ति के वैध रूप से सक्षम प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में या, यथास्थिति, भारत में रह रहे मृतक व्यक्ति के विधिक वारिसों के अनुरोध पर ले जाती है ।	260 या सम्पत्ति के प्राक्कलित मूल्य का 2.5%, इनमें से जो भी अधिक हो ।	320
6 (ख) यदि ऐसी संपत्ति किसी कौंसलीय आफिसर के समवर्ती प्रत्यायन के देश में है ।	1,030 या संपत्ति के प्राक्कलित मूल्य का 2.5 प्रतिशत, इन में से जो भी अधिक हो ।	1,270

8 (क) पेंशन भोगियों से संबंधित पेंशन-कागजपत्रों, जीवन प्रमाणपत्र आदि का अनुप्रमाणन	नि:शुल्क	
8 (ख) वेतन या पेंशन की घोषणा के लिए अपेक्षानुसार कौंसलीय आफिसरों के हस्ताक्षर और मुद्रा लगाने के लिए ।	नि:शुल्क	
9 (क) ऐसे अन्य प्रकीर्ण अनुप्रमाणन सिविल प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना, कौंसलीय निर्देशिका के अनुसार नोटेरी सेवाएं जो पूर्वोक्त श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आती है; जन्म का पंजीकरण और प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति ।	20	25
9 (ख) जहां कौंसलीय आफिसर मद 29 (क) में वर्णित सेवाओं से संबंधित किसी दस्तावेज को तैयार करता है या तैयार करने में सहायता करता है ।	40	50
9 (ग) मृत्यु का पंजीकरण और प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति इस प्रावधान के साथ कि मिशन प्रमुख/ केन्द्र प्रमुख अपने विवेकानुसार इन शुल्कों को माफ कर सकते हैं ।	20	25
10. ऐसे किसी भारतीय राष्ट्रिक के भारतीय पासपोर्ट का रद्द किया जाना जिसकी विदेश में मृत्यु हो जाती है ।	नि:शुल्क	

टिप्पणी :—दरें प्रति सत्यापन के हिसाब से हैं और उन पृष्ठों पर जिन पर मिशन की गोल मोहर लगी हुई है, उसके लिये अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जायेगा।

[सं. टी-4330/3/01]

एस. आर. तायल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

टिप्पण:- मूल नियम अधिसूचना सं. 420-सी ओ एन दिनांक 8 नवम्बर, 1949 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तदपश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2001

G.S.R. 912(E).— In exercise of the powers conferred by section 8 of the Diplomatic Officers (Oaths and Fees) Act, 1948, (41 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Rules, 1949, namely:-

1. (1) These rules may be called the Diplomatic and Consular Officers(Fees) Amendment Rules, 2001.
   (2) They shall come into force on 1 January 2002.

2. In the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Rules, 1949, for Schedule-I, the following shall be substituted:-

"SCHEDULE – 1
(See Rule 3)
Table of Consular Fees

Matter in respect of which a fee is leviable	Scale of fee In US$	(applicable out of India) In Euro (will apply to countries where Euro is the currency)
1	2	3
Attestation of documents – civil, trade/commercial and real estate/moveable property		
1(A) Attestation of affidavits/documents pertaining to sale, purchase, power of attorney, mortgage, transfer, gift, etc. of real estate or moveable properties or issue of a document by a Consular Officer pertaining to such matters.	20	25
1(B) Where a Consular Officer draws up or assists in drawing up any document mentioned in 1(A) above	40	50
2(A) Attestation of civil documents (affidavits, educational degree, sponsorship certificates, marriage certificates, wills, Power of Attorney etc.	10	12
2(B) Where a Consular Officer draws up or assists in the	20	25

Marriage fee

4. A Consular Officer solemnizing a marriage, registration of a marriage certificate **and a certified copy of the entry**(all).	50	62

Fees in respect of merchant shipping

5(A) Attestation of documents pertaining to sale, purchase, mortgage, transfer of vessel or transfer of one's interest in merchant vessel.	260	320
5(B) Attestation of other documents pertaining to ship/vessel for issue of a certificate or verification or acceptance of a document or taking any action as per Chapter IX of the Consular Manual on 'Merchant Shipping'. The Shipping Company (or Captain of vessel on behalf of Company) being applicant/payee of consular fee.	50	62
5(C) Attestation of documents of issue of certificates to a sailor as per Chapter IX of the Consular Manual on 'Merchant Shipping' (individual sailor being applicant for his individual use).	10	12

Fee in respect of other services

6(A) For administration or distribution, or both of the property situated in country, of the Consular Officer's residence, of an Indian citizen or any other person, not being a seaman, dying intestate, or if not intestate, when undertaking in the absence of legally competent representative of the deceased in country of his death or a request of legal heirs of deceased living in India as the case may be.	260	320 or 2.5 per cent of estimated value of the property/ estate, whichever is more.
6(B) If such property is in country of concurrent accreditation of a Consular Officer.	1,030	1,270 or 2.5 per cent of estimated value of the property, whichever is more

8(A) Attestation of pension papers, life certificate etc. pertaining to pensioners.	Gratis	
8(B) For affixing Consular Officer's signature and seal, if required, for declarations of pay or pension.	Gratis	
9(A) Other miscellaneous attestations, issue of civil certificates, notarial services as per Consular Manual, not falling within any of above categories, registration of birth & a certified copy of the entry.	20	25
9(B) Where Consular Officer draws up or assists in drawing up of any documents pertaining to services mentioned at item 9(A) above.	40	50
9(C) Registration of death & a certified copy of the entry with the proviso that HOM/HOP may waive these charges at his discretion.	20	25
10 Cancellation of Indian passport of an Indian national who dies abroad.	Gratis	

Note: The rates are per attestation and the pages on which Mission/Post's round seal is affixed will not be charged extra.

[No.T-4330/3/01]

S.R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)

Note:— Principal rules published vide Notification No.420-Con, dated 8 November, 1949. Subsequently amended by:-

(i) Notification No. GSR 1977 dated 14-11-1967
(ii) Notification No. GSR 817 (E) dated 13-10-1976
(iii) Notification No. GSR 326 (E) dated 2-4-1979
(iv) Notification No. GSR 862(E) dated 1-11-1985
(v) Notification No. GSR 688 (E) dated 15.10.1992